अलवर रियासत एवं ब्रिटिश सरकार के बीच आर्थिक सम्बन्ध

शोध पत्र-इतिहास

* डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव

19वीं सदी में अंग्रेजी सरकार के साथ सन्धि स्थापित होने से अलवर में कुछ महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली सामन्त अपनी-अपनी जागीरों में लगभग स्वतन्त्र शक्ति के रूप में शासन कर रहे थे। जिनमें अपने दबार की स्थापना, सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति सम्मिलित थी। विशेषाधिकार प्राप्त उक्त सामन्त वर्ग अलवर रियासत के शासकों के जाने पर उनके विरूद्ध विद्रोह करना सामन्तों के लिए सामान्य बात थी। अलवर के शासक महाराव बख्तावर सिंह ने राज्य के सामन्तों से दुखी होकर सन् 1803 ई. में अंग्रेजों के साथ की गई सन्धि में सामन्तों के विरूद्ध अंग्रेजी सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। इसके पश्चात सामन्तों के विशिष्ट अधिकारों को कम करने का एक निश्चित अभियान आरम्भ किया गया। जो बाद में अंग्रेजों के अपने आर्थिक विकास एवं राज्य की शासन व्यवस्था पर अंग्रेजी प्रभूत्व स्थापित करने में सहायक हुआ। प्रारम्भिक समय से ही सामन्तों के प्रभाव के कारण अंग्रेज सरकार राज्यों में अपनी नीतियों को लागू करने में कठिनाई अनुभव कर रही थी। उदाहरणार्थ-अंग्रेज सरकार के लिए अलवर राज्य का उसके अजमेर और दिल्ली व्यापार मार्ग पर स्थित होने के कारण काफी महत्त्व था। किन्तु अंग्रेजी वस्तुओं के व्यापार की वृद्धि में इस राज्य की परम्परागत राहदारी दरें उसके लिए बाधा बनी हुई थी। अंग्रेज सरकार ने 19वीं सदी के दौरान राज्य के शासकों पर राहदारी क दरे कम करने अथवा समाप्त करने के लिए दबाव डाला किन्तु सामन्तों की स्वीकृति के बिना राज्य का शासक राहदारी की दरों को समाप्त करने में असमर्थ दिखाई पड़े।

अंग्रेज सरकार ने राज्यों में अंग्रेज सामन्त वर्ग को धीरे-धीरे प्रभावहीन तथा अपने समर्थक लोगों को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया। जिससे राज्यों में अंग्रेजी प्रभाव तथा प्रभुत्व अधिक बढ़ सके।[1] सन् 1877 में अंग्रेजी एवं अलवर की सरकारों के मध्य अनुबन्ध हुआ। जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार आन्तरिक व्यापार पर से अनावश्यक पाबन्दियों एवं बाधाओं को हटाने की इच्छा रखती है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति ब्रिटिश सरकार भारत से अलवर के और अन्य देशी रियासतों के निर्यात की जाने वाली शक्कर और शकरा पदार्थ पर लगाई जाने वाली आयात चुंगी और कस्टम कर को समाप्त करती है और यह की अलवर सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने को सहमत है कि उसकी सीमा या आसपास में ऐसे प्रबन्ध किये जाए कि शाही नमक कर को हानि पहुंचाए बिना आयात (कस्टम) कर को समाप्त किया जा सके और नमक शक्कर तथा अन्य सभी आयात होने वाली, बाहर जाने वाली या राज्य के सभी क्षेत्र के गुजरने वाली वस्तुओं पर से सभी कर समाप्त किए जाऐ और यह अलवर सीमा क्षेत्र जो वर्तमान में नमक बनता है। वह मात्रा में सीमित है और घटिया किस्म का है।[2] निम्नांकित अनुच्छेद अनुबन्ध किए जाते हैं-1. तत्पश्चात या उस तारीख से जो ब्रिटिश सरकार निश्चित करें। आयात-निर्यात या परिवहन पर कोई भी कर अलवर सीमा क्षेत्र मं अलवर सरकार की आज्ञा व जानकारी से लागू होगी। 2. अलवर सरकार ऐसे सभी नमक पर, अलवर सीमा में प्रवेश कर और उसमें उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाएगी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित कारखानों में नहीं बनाया गया हो। और जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया कर न चुका दिया गया हो। अलवर सरकार, यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहे तो, नशीली दवाओं या पूर्ववर्ती अनुच्छेद में वर्णित नशीली वस्तुओं या पदार्थों पर अपनी सीमा से ब्रिटिश सीमा में प्रवेश पर रोक लगाएगी। 3. यदि इस अनुबन्ध में स्वीकृत प्रावधानों के क्रियान्वन के समय अलवर सीमा क्षेत्र में नमक के उल्लेखनीय भण्डार पाये जाने पर यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहे तो अलवर सरकार नमक के ऐसे भण्डार को अपने कब्जे में लेगी और भण्डार के स्वामी को यह विकल्प देगी की वह अलवर में राजनयिक दूत की सम्मति से अलवर सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दे या उस राजनयिक दूत को अधिकतम उस प्रतिगज की दर से नमक प्रदान करें।[3] दूसरे विकल्प को स्वीकारने की दश में भण्डार के स्वामी को कर अदा किए नमक को भण्डार में रखने की छुट होगी।[4] 4. अलवर सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के प्रभाव क्रियान्वन के प्रतिफल स्वरूप ब्रिटिश सरकार अलवर सरकार को छः माही किस्तों में प्रतिवर्ष 1 लाख पच्चीस हजार रूपया देना स्वीकारती है। जिसकी प्रथम किस्त अनुच्छेद प्रथम एवं द्वितीय के अनुसार दिनांक निश्चित किए जाने क छः माह पश्चात देया होगी। यदि अलवर सरकार को सन्तोषजनक रूप से यह विश्वास हो जाए कि उपरोक्त प्रकार से नमक के स्थानीय उत्पादन को बन्द करने से किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हुआ है तो अलवर सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकारां का हनन हुआ है उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।[5] इसके उपरान्त सन् 1879 ई. में महाराव मंगल सिंह ने अंग्रेजी सरकार से एक और इकरार किया। जिसके अनुसार राज्य में नमक बनाना बन्द कर दिया जाएगा तथा अंग्रेजों को शुल्क भुगताया नमक ही आने की राज्य में अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी प्रकार के नम आयात एवं खपत पर रोक लगा दी जाएगी।[6] भांग, गांजा, अफीम, नशीली वस्तुओं के अलावा और वस्तुओं पर कोई राहदारी कर न लगाने पर इकरार किया गया। इसके बदले महाराव को 125000 वार्षिक रकम देना तथा सांभर में 1000 मन अच्छा नमक मुफ्त अंग्रेज सरकार ने देना स्वीकार किया।

अंग्रेजों की औद्योगिक नीति-अंग्रेजी सरकार की अलवर रियासत के प्रति आर्थिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों के प्रति नीति उदार नही रही। अंग्रेजी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उन्होंने कुटीर उद्योगों (प्रथम श्रेणी) को संरक्षण प्रदान नहीं किया जबकि उन्होंने शहरी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। अलवर रियासत के प्रति अंग्रेजी सरकार की औद्योगिकीकरण विरोधी नीति के दो पहलु थे। पहला भारत में रहने वाले व्यापारियों पर अलवर के उद्योगों में पूंजी के विनियोग पर प्रतिबन्ध तथा राज्यों के औद्योगिकीकरण में अनेक प्रकार की रूकावटें खड़ी कर देना था। अंग्रेजी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, जिससे भारतीय व्यापारी, भारतीय उद्योगों में पूंजी ना लगा सके। इस व्यवस्था के अन्तर्गत

*अतिथि प्राध्यापक, अहीर कॉलेज, रेवाड़ी

सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार ने 8 जनवरी 1891 को पारित एक गश्ती चिट्ठी भारत में सभ्जी राज्यों को भेजा।[8] इसमें इस बात की व्यवस्था थी कि भारत में पूंजीपति तथा पूंजी लगाने के इच्छुक व्यक्ति भारतीय राज्यों के साथ सीधी वार्ता नहीं कर सकते तथा भारतीय राज्यों को स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी वे ऐसी योजना हाथ में लें, जिसके लिए राज्य के बाहर के पूंजीपतियों से पूंजी प्राप्तयार्थ सीधी बात नहीं सकते। भारतीय राज्यों को स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी वे ऐसी योजना हाथ में लें, जिसके लिए राज्य के बाहर के पूंजीपतियों से पूंजी जुटानी आवश्यक हो तो पूंजीपतियों से बातचीत कर समझौते करने का काम, उस राज्य की तरफ से अंग्रेजी सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त इस गश्ती चिट्ठी से यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत का कोई भी नागरिक भारतीय राज्यों के लिए रूपया जुटाने अथवा ऋण देने का काम नहीं करेगा। अंग्रेजी सरकार में किसी राज्य सरकार को अपनी जनता के सहयोग से उद्योग स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी किन्तु यदि उद्योग स्थापित करने में अंग्रेजी अथवा युरोपीय विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों के सहयोग की भी बात हो तो, उस राज्य की इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा अंग्रेजी सरकार को देना होता था।

अंग्रेजी सरकार की मुद्रा नीति–अंग्रेजी सरकार ने प्रत्येक रियासत में अपने हितों को ध्यान में रखकर अपना रूपया चलाया। 1877 ई. में अंग्रेजों ने महाराव मंगलसिंह को भारतीय मुद्रा कानून के अनुसार अंग्रेजी टकसाल (कलकत्ता) के चांदी के सिक्के जिन पर अलवर का नाम खुदा था, राज्य में जारी करने तथा 30 वर्षों तक अपना कोई सिक्का जारी ना करने का इकरार सरकार से किया।[9] इसके लिए आरम्भ में 2 लाख रूपये चांदी देकर बनाये। साथ ही अंग्रेजी पैसे का चलन 1873 में ही हो गया था।

अलवर रिसत में राजगढ़ में टकसाल है वहाँ स्थानीय सिक्कों का निर्माण होता था। जिसे हाली रूपया कहते थे। लेकिन राज्य में अंग्रेजी सिक्के जिनकी उपयोगिता अधिक है तथा उनका अवमूल्यन न होने के सम्बन्ध में लोग आश्वस्त है और प्रचलन में भी है उन्होंने हाली को चलन से बाहर कर दिया है और यह अनुपयोगी हो गया हैं। अब अंग्रेजी रूपया ही अधिक प्रयोग में लिया जाता है। भारत कौडियों के ढेर तथा टका जो एक आना के बराबर होता है व दूसरा मूल्य हमेशा अस्थिर रहता है कि अपेक्षा अब अंग्रेजी तांबे के सिक्के अधिक सुगम एवं उपयोगी सिद्ध हो रहे है। इसलिए 1 सितम्बर 1873 तथा 1 अक्टूबर 1874 के मध्य राज्य द्वारा अंग्रेजी समस्त तांबा सिक्कों के प्रचलन में लिया गया। जनता की मांग से अधिक किसी भी मात्रा को राज्य कोष पुन: प्राप्त करने को सदैव तत्पर रहता था। पैसों के साथ-साथ पाई भी प्रयोग में आती थी परन्तु व्यापारी वर्ग 'पाई' की अपेक्षा कौडियों को प्रमुखता देता था और पाईयों का पूरा मूल्य नहीं देता था। घास एवं ईंधन विक्रेताओं के अतिरिक्त अन्य कोई वर्ग पुराने सिक्के टका को प्रमुखता नहीं देता था।[10] अंग्रेजी सरकार ने अलवर रियासत के साथ देशी मुद्रांकन अधिनियम 1876 के अन्तर्गत अनुबन्ध किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी देशी रियासत में भुगतान के लिए ढाली गई मुद्रा किसी भी निर्धारित धातु की मुद्रा, ब्रिटिश भारत में वैधानिक मुद्रा होगी।[11] 30 दिसम्बर 1879 को पालिटिकल ऐजेन्ट के मार्फत दरबार ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रार्थना प्रेषित भी कि जैसा अलवर के रूपये के सम्बन्ध में किया गया है, ठीक उसी प्रकार से सरकार अलवर के लिए एक तांबे का विशेष सिक्का उन्हीं शर्तों पर जारी करेगी, जिन पर सारे भारत में प्रचलित है। यह प्रार्थना ठुकरा दी गई क्योंकि सरकार स्थानीय सिक्कों को हटाना चाहती है।[12]

1805 ई. में अंग्रेज सरकार एवं अलवर राज्य के बीच सन्धि होने के पश्चात् राज्य में अव्यवस्था, लुटमार तथा व्यापारिक मार्गों की असुरक्षा अधिक बढ़ गई। उस समय राज्य का व्यापारी वर्ग जो वैश्य जाति का प्रधान था व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता, राज्य में व्याप्त अशान्ति को दूर करना एवं भारत में फैले हुए अपने व्यापार को अधिक उन्नत करने के लिए अंग्रेजी आश्रय एवं समर्थन का इच्छुक था। अंग्रेजी संरक्षण न केवल भारतीय राज्यों एवं अंग्रेज संरक्षित प्रदेश में व्यापारियों के लिए अपने पिछले ऋणों को वसूल करने में सहायक था बल्कि भविष्य में भी वहाँ वे लेनदेन का व्यवसाय जारी रख सकते थे।

इसके अतिरिक्त 19वीं सदी उत्तरार्द्ध में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों ने राज्य के व्यापारी वर्ग के लिए अंग्रेजी संरक्षण को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया। नमक व्यवसाय पर अंग्रेजी एकाधिकार और यातायात के नये साधनों के विकास ने थोक सामान के क्रय-विक्रय, लाने व ले जाने एवं बीमा व्यवसाय को समाप्त कर दिया। दूसरी ओर राज्य में सरकारी खजाने स्थापित हो जाने से रियासत के लेन-देन में कमी आई। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को विदेशी वस्तुओं के व्यापार विनिमय से जो अंग्रेज अधिकारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं था, अपने कारोबार में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावना भी दिखलाई पड़ती थी।

अंग्रेजों की व्यापारियों के प्रति नीति–अंग्रेजी सरकार सम्पन्न व्यापारियों को अलवर रियासत से हटाकर अंग्रेजी भारत में बसाना चाहती थी। इससे अलवर की आर्थिक सम्पन्नता को अपेक्षाकृत कमजोर बनाकर तथा अलवर के शासकों पर दबाव बनाकर अधिक राजनैतिक सुविधाएँ प्राप्त की। साथ ही अलवर के व्यापारियों की जमापूंजी का अंग्रेजी भारत में अंग्रेज व्यापारियों की एजेन्सियों में विनियोग करवाया। साथ ही अंग्रेजी सरकार ने अलवर में अपने आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए ऐसे वर्गों तथा अधिकारियों का सर्मथन किया जो उनके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे।

अंग्रेजो की परिवहन नीति–अंग्रेजी नीति के अन्तर्गत अवलर रियासत के व्यापारिक मार्गों एवं साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। कैप्टन इम्पे के प्रवास के दौरान यहाँ उनके द्वारा आवागमन के साधनों में काफी प्रगति हुई तथा महत्त्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी कराया गया।[13] 19वीं सदी के अन्तिम चतुर्थांश में राजस्थान में रेल लाइन के निम्राण से अलवर के पारगमन व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अंग्रेज सरकार उन्हीं रेलवे मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही थी। जिनसे भारतीय राज्यों का कच्चा माल निर्यात करने में सहायता मिल सके। अलवर में मेजर स्टेनटन आर. ई. अधिक्षण अभियन्ता तथा बायर सी.ई. अधिशाषी अभियन्ता के निर्देशानुसार उनकी निगरानी में रेलवे का निर्माण कराया गया। अलवर में आवागमन राजपूताना रेलवे द्वारा देहली से अलवर के मध्य दिनांक 14 सितम्बर 1874 ई. को एवं 16 दिसम्बर 1874 ई. को देहली से बांदीकुई के मध्य रेलवे मार्ग प्रारम्भ हुआ। यह रेलवे लाइन अलवर राज्य की सीमा से होती हुई उत्तर से दक्षिण की तरफ ठीक राज्य के मध्य से होकर आरम्भ की गयी। राज्य की उत्तरी क्षेत्र से अजरका, खैरथल, अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़ आदि 6 स्टेशनों का निर्माण किया गया है। परम्परागत व्यापारिक मार्गों का महत्त्व कम हो जाने एवं नये-नये मार्गों के अस्तित्व में आ जाने से राज्य के व्यापारिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। रियासत की पारगमन व्यापार जिससे राज्य की राहदारी के रूप में काफी राजस्व प्राप्त होता था।[14] अलवर रियासत के आर्थिक विकास के लिए प्रशासन में अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा परिवर्तन लाया गया तथा कौंसिल में कैप्टन इम्पे ने महाराजा के लिए एक निश्चित भत्ता प्रदान किया गया तथा एक टोली सेवकों की भी उनको दी गई। प्रशासन की आज्ञा से पुराने करों

का भुगतान कर दिया गया तथा नये कर तथा भत्ते जारी किए, प्रशासनिक सुधार लागू किया गया। इससे राज्य में अमन चैन स्थापित हुआ।[15] कैप्टन इम्पे ने राजकोष में 20 लाख से अधिक राशि छोड़ी थी।[16] अंग्रेजी सरकार ने अलवर रियासत के सिंचाई कार्यों के विकास के लिए बांध बनाये, कुओं की मरम्मत एवं निर्माण कराया।[17] अंग्रेजी सरकार द्वारा समय-समय पर रियासत को ऋण प्रदान किया गया। अलवर रियासत द्वारा कौंसिल को सुदृढ़ करने के लिए एवं अलवर की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार से 5 लाख रुपये प्राप्त किये।[18] अलवर रियासत के भू प्रबन्धन में भी अंग्रेजी सरकार काफी मदद करती थी। कैप्टन इम्पै ने अलवर की भू राजस्व के सम्बन्ध में आंशिक भू प्रबन्ध किया। यह भू प्रबन्ध वर्ष में एकत्रित किये गये भू राजस्व की औसत पर आधारित था। जिसको आंशिक रूप से कि कौन कितना भुगतान आसानी से कर सकता है, के आधार को लेकर रद्दोबदल किया गया। चूंकि नियमित भू प्रबन्ध आंशिक रूप से तैयार किया गया। जिसके द्वारा भू राजस्व 7.5 प्रतिशत बढ़ाया गया जो निम्न प्रकार से हैं-

1. कैप्टन इम्पै द्वारा सन् 1858 में किये गये 3 वर्ष के भू-प्रबन्ध में औसत एकत्रित राशि 14,29,425 थी। 2. सन् 1858 में किये गये 10 वर्ष के भू प्रबन्ध में औसत एकत्रित राशि 17,19,815 थी। 3. सन् 1872 में किये गये आंशिक भू प्रबन्ध में। प्लेन टेबल द्वारा सर्वेक्षण किया गया। कुशल एवं योग्य अधीक्षक एवं निरीक्षक ब्रिटिश क्षेत्र से बुलाये गये तथा अलवर राज्य के 90 अमीन एवं 130 पटावारी इस कार्य में नियुक्त किये गये। काफी प्रयास के पश्चात् बड़ी चतुराई से प्लेन अैबल सर्वेक्षण का कार्य सम्पूर्ण किया गया। इस सर्वेक्षण कार्य में केवल खालसा ग्राम जिनकी संख्या 1431 थी, के ही लिया गया था। बिना राजस्व के 357 ग्रामों की सीमाबन्दी का नक्शा तैयार किया गया।[19]

अंग्रेजों की चुंगी नीति-19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राज्य के परम्परागत पारगमन व्यापार का पतन आरम्भी हो गया। भारतीय अंग्रेजी सरकार ने भारत के आन्तरिक व्यापार से अत्यधिक लाभ उठाने का प्रयन्त किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्यों में प्रवेश करने के लिए अंग्रेजी सीमा क्षेत्र में चुंगियाँ स्थापित की गई।[20] अंग्रेजी सरकार ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेने के पश्चात् कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिनसे राज्य के व्यापार को इस स्थिति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया। यह कार्य उस चुंगी नीति का परिणाम था जो अंग्रेजों ने अपने अधीन भारतीय क्षेत्र में लागू की। इसके अनुार उन्होंने दो स्थानों पर चुंगी वसूलना प्रारम्भ कर दिया। 1. विदेशों से माल के आयात और निर्यात पर बन्दरगाह पर लगाई जाती थी। 2. भारतीय राज्यों में प्रवेश करते समय अथवा वहाँ से भारत में प्रवेश करते समय ली जाती थी।[21] इससे राज्य के व्यापारी वर्ग द्वारा अंग्रेजी क्षेत्र में माल भेजना महंगा पड़ने लगा। टाड ने लिखा है कि यद्यपि बनारस में राजस्थान के नमक की बंगाल में उत्पादित समुद्री नमक की अपेक्षा अधिक मांग थी किन्तु राजस्थान का नमक वहाँ पहुँचते-पहुँचते काफी महंगा पड़ता था। यह महंगाई आवागमन की कठिनाईयों अथवा दूरी का परिणाम ना होकर उस चुंगी का परिणाम थी। जो राजस्थान के व्यापारी को अंग्रेजी क्षेत्र में प्रवेश करते समय चुकानी पड़ती थी जबकि दूसरी ओर बंगाल के नमक का बनारस में पहुंचना सस्ता पड़ता था क्योंकि दोनों स्थानों के बीच चुंगी नहीं थी।[22]

अंग्रेजों की चुंगी नीति के कारण अलवर राज्य के परम्परागत व्यापारिक मार्गों का महत्त्व घटता गया और उत्तर भारत से आने वाले काफिले माल के साथ राज्य से गुजरने बन्द हो गये और उन्हें ऐसे क्षेत्र से होकर जाना पड़ता जो अंग्रेजी नियन्त्रण में ना हो जिससे अंग्रेजी चुंगी से बच सके। यह स्मरणीय है कि राज्य का व्यापार का कार्य पहले की अपेक्षा काफी अवनति पर चला गया। अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित भारतीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत जीविकोपार्जन के अधिक अवसन उपलब्ध थे। 1813 ई. में अंग्रेज व्यापारियों को भारत में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अनेक अंग्रेज व्यापारियों ने कलकत्ता में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर यह पता चलता है कि बंगाल में अनेक विदेशी कम्पनियों में कुक एण्ड ग्रे कम्पनी, स्टीयर्ट फोर्ड एण्ड कम्पनी, जार्ज एंडरसन कम्पनी, सेटाकम्पनी रैली ब्रादर्स, रोबिनसन एण्ड बासफोट कम्पनी आदि प्रमुख कम्पनियाँ थी।[23] ये प्रतिष्ठान इस बात का प्रयत्न करते थे कि इंग्लैण्ड में बना माल यहाँ बेचे तथा भारत से कच्चा माल खरीद कर इंग्लैण्ड को निर्यात किया जाए। साथ ही अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज व्यापारियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों (अलवर क्षेत्र भी) अफीम, रूई, जूट, ऊन, चाय व चांदी व सोने के व्यापार के साथ सट्टा तथा शेयर आदि धन्धों को अलवर रियासत में विकसित करने में पूर्ण सहायता प्रदान की। अतः अलवर के प्रति अंग्रेजी आर्थिक नीति जहाँ कई मामलों में कठोरता पूर्ण रही वही कुछ मामलों में उदारता एवं स्वार्थहीन रही। इससे काफी मात्रा में आर्थिक विकास बढ़ा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. स्वयसाची भट्टाचार्य, फाइनेंशियाल फाउण्डेशन ऑफ द ब्रिटिश राज पृष्ठ 197-202 2. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 214 3. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 214 4. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 215 5. (अ) जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 215 (ब) वाक्ये राजपूताना 6. जगदीश सिंह गहलोत, जयपुर एवं अलवर राज्यों का इतिहास, पृष्ठ 280 7. (अ) एचिशन-ट्रिटीज एंगेजमैन्ट एण्ड सनद खड-3 पृष्ठ-407 (ब) विनय पत्रिका, पृष्ठ 225 (स) जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 215 8. सरक्युलर न. 81, भारत सरकार द्वारा मार्च 1891 में समस्त शासकों को भेजा गया था। पो. क. इण्टरनल बी. प्रोसिडिंग्स, दिसम्बर 1891 नं. 161-171 (रा. अ. दिल्ली) 9. एचिशन-ट्रिटीज एंगेजमैन्ट एण्ड सनद खण्ड-3 पृष्ठ-407 10. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 118 11. वही, पृष्ठ 216 12. वैब, राजपूताना के हिन्दू रजवाडों के सिक्के, पृष्ठ 159 13. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 76 14. वही, पृष्ठ 76 15. वही, पृष्ठ 25 16. वही, पृष्ठ 24 17. (अ) ई.एस. हेन्स, द पोलिटिकल रोल ऑफ द किनसिप इलिट इन अलवर राजपूताना, इण्डिया (1850-1910), पृष्ठ 236 (ब) नोट बाई, पीएए, 31 जुलाई 1897, एएसआर सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट, फाइल नम्बर 1 पृष्ठ 37-40 18. टेलीग्राम-पीएए टू एजीजीआर अलवर, 19 अक्टूबर 1870 19. जोशी अनिल द्वारा अनुवादित पाउलेट गजट, पृष्ठ 205 37-40 20. (अ) हेम्लिटन - द ट्रेड रिलेशन बिटविन इंग्लैण्ड एण्ड इण्डिया पृष्ठ 218 (ब) कॉटन - हैण्डबुक ऑफ कर्मिशियल इन्फोरमेशन फॉर इण्डिया (1919) पृष्ठ 28। 21. (अ) वही, उपर्युक्त दोनों (ब) डॉ. रघुवीर सिंह - पूर्व आधुनिक राजस्थान, पृष्ठ 275-276 (स) पी.एम. ऑफिस, बीकानेर 1934 न. ए. 1588-1593, पृष्ठ 33
22. टाड-एनल्स एण्ड एन्टीक्युटिज ऑफ राजस्थान, भाग-2, पृष्ठ 110 23. (अ) गिरिजाशंकर, मारवाडी व्यापारी, पृष्ठ 51 (ब) निस. ई.एच. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री: 1834-1853, पृष्ठ 15-27।